85

| | |
|---|---|
| 29/1/21 | पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग शिविर - निरोला (बूढी) में पेश हुई, तहसीलदार, दौसा ने प्रकरण का जवाब पेश किया, लिखित पृथक से लिखा गया, या पर स्वीकार किया जाता है, प्रकरण में सम्बन्ध हुआ होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। |

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैंप – जीरोता खुर्द

ासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
रण संख्या :– 65 / 2021
र दिनांक :– 23.6.2021
ंय दिनांक :– 29.11.2021

## उनवान

गीता देवी पत्नि निगमराम जाति मीना निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा (प्रार्थी)

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. तहसीलदार तहसील दौसा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :– एडवोकेट श्री सीताराम मीना प्रार्थी की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 29.11.2021

अंतर्गत प्रार्थना–पत्र अ.धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने

उक्त प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा.पत्र न्यायालय हाजा इस आशय का पेश किया कि ग्राम जीरोता खुर्द में खसरा नंबर 475 रकबा 0.3100 हैक्टर ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हैं । जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है । प्रार्थी द्वारा अपनी तेदारी भूमि की स्थाई सुरक्षा के लिये पत्थरगढी करवाना चाहती है, पूर्व में दिनांक 6.4. 21 को राजस्व कार्मिकों द्वारा सीमाज्ञान किया गया किंतु वह सीमाज्ञान सहीं नहीं किया ा है । अतः प्रार्थी अपना पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहती है । अतः ग्राम रोता खुर्द में खसरा नंबर 475 रकबा 0.3100 हैक्टर का बाद सीमाज्ञान करके, पत्थरगढी रवाई जावे ।

न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण को प्रशासन ांव के संग अभियान–2021 कैंप – जीरोता खुर्द में रखा गया एवं अप्रार्थीगण को प्रकरण में ाजपक्ष की ओर से जवाब पेश करने की हिदायत दी गई एवं प्रा.पत्र वादी की नकल मुहैया करवाई गई । प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता कैंप में उपस्थित आए ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार, [illegible] उनका जवाब पेश किया, जिसमें गिरदावर व पटवारी हलका द्वारा रिपोर्ट पेश की गई [illegible] पूर्व में दिनांक 6.4.2021 को सीमाज्ञान कराया जा चुका है। जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट [illegible] है, उक्त भूमि का प्रार्थिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

माज्ञान कर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, जो किया जाना उचित है । तथा तहसीलदार सा द्वारा जवाब पेश किया कि उनवानी प्रकरण गीतादेवी बनाम राज.सरकार में प्रार्थी पुनः माज्ञान करवाना चाहती है, दुबारा सीमाज्ञान करने में राजस्व टीम को कोई आपत्ति नहीं है

प्रार्थी के अधिवक्ता की पत्थरगढी प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई । पत्रावली व त्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थीयान के धिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना यायोचित है । अतः प्रार्थी का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार ौसा को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी के ग्राम जीरोता खुर्द में खसरा नंबर 475 रकबा 0. 100 हैक्टर का पत्थरगढी करने से पूर्व नियमानुसार सीमाज्ञान का शुल्क वसूल कर, ीमाज्ञान हेंतु तहसीलदार दौसा दक्ष व अनुभवी गिरदावर व पटवारियान को जिम्मेदारी देवें । ीमाज्ञान के दौरान जो कोई पेड/झाडियां सीमाज्ञान हेतु हटाना आवश्यक होगा, उसे प्रार्थी वयं अपनी जिम्मेदारी व खर्चे पर हटावेगा । तहसीलदार दौसा बाद सीमाज्ञान के पत्थरगढी ेतु अनुभूवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी का कार्य करवावें एवं ास्ते पत्थरगढी प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल करें । पालना हेतु तहसीलदार ौसा को तहरीर जारी की जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद कमील प्रविष्ठि लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

संजय कुमार गोरा (RAS)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner